



Neutral Citation No. -2026: AHC:124290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या -18895/2026

नदीम

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : सैफ उल्लाह, सुधाकर यादव

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री सुधाकर यादव एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री अमित कुमार दुबे तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता, सुश्री गीता परिहार को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 63/2026, अंतर्गत धारा 142, 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, थाना-चन्दौसी, जनपद-सम्भल में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- प्रारम्भ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस तामील कराया जा चुका है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा एफआईआर दर्ज होने के 12 दिन पश्चात पुलिस द्वारा आवेदक एवं पीड़िता को बरामद किया गया तथा पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है तथा धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज उसके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान हैं। आवेदक दिनांक 20.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा एफआईआर के अनुसार लगभग 16 वर्ष आयु की प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है, तथापि, पीड़िता की बरामदगी सह-अभियुक्त बिट्टू के कब्जे से हुई, परंतु, धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित होते हैं तथा पीड़िता की आयु का निर्धारण कक्षा-8 के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है तथा हाईस्कूल प्रमाणपत्र अथवा प्रथम अध्ययन संस्थान का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तथा कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया है।
7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, के निर्णय में निहित निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **नदीम** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठा से सहयोग करेगा।
 - (iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।
11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।
12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021*, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

01 जून, 2026

अभिषेक